राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 315/2022 जीसीएमएस नम्बर :– 2022/819

1. रामचन्द्र पुत्र नानड़राम (फौत)
   1/1 बिमला देवी पत्नी स्व0 रामचन्द्र
   1/2 राजकुमार पुत्र स्व0 रामचन्द्र
   1/3 राजेश कुमार पुत्र स्व0 रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 2 बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
   1/4 राजबाला पुत्री स्व0 रामचन्द्र पत्नी महेन्द्र जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 2 बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0 हाल आबाद खोर बसईत बहरोड़ जिला अलवर राज0
2. ईश्वर पुत्र नानड़राम
3. धन्नी बैवाह नानड़राम
4. फकीरचन्द पुत्र मालाराम
5. रामसिंह पुत्र महेन्द्र
6. सज्जन पुत्र महेन्द्र
7. धापा पत्नी महेन्द्र
8. दलीप कुमार पुत्र लीलाराम
9. संजय पुत्र लीलाराम
10. धनपति पत्नी लीलाराम जाति कुम्हार निवासीगण वार्ड न0 2 बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0

.........वादीगण

बनाम

1. नाहरु पुत्र सुरजाराम
2. रामकुमार पुत्र सुरजाराम (फौत)
   2/1 सुरेश कुमार पुत्र स्व0 रामकुमार
   2/2 राजु पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 2 बुहाना त0 बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
   2/3 मन्जु पुत्री रामकुमार जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 2 बुहाना त0 बुहाना जिला झुंझुंनू राज0 हाल आबाद आसामन्नाकी ढाणी त0 सतनाली जिला महेन्द्रगढ हरियाणा0
3. सुभाषचन्द पुत्र सुरजाराम
4. ज्ञानीराम पुत्र सुरजाराम समस्त जातियान कु[illegible]सीगण वार्ड न0 2 बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
5. लक्ष्मण सिंह पुत्र गुगन सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझूंनू राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:48:19 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय बुहाना जिला झुंझुनू राज0

..........प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती

–::निर्णय::–

दिनांक :– 23–12–2022

1. यह कि खाता स0 523 की भूमि ख0न0 630 रकबा 0.05है0 ख0न0 631 रकबा 0.04है0 ख0न0 632 रकबा 0.02है0 ख0न0 633 रकबा 3.77है0 ख0न0 634 रकबा 0.43है0 ख0न0 635 रकबा 0.40है0 कुल किता 6 कुल रकबा 4.71है0 भूमि वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 में स्थित है उपरोक्त आराजी साबिक ख0न0 210 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा से बने है इसी प्रकार खाता स0 464 की भूमि ख0न0 636 रकबा 0.15है0 ख0न0 638 रकबा 6.26है0 ख0न0 639 रकबा 0.02है0 कुल किता 3 कुल रकबा 6.43है0 वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 में स्थित है उपरोक्त आराजी साबिक ख0न0 211 रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा से बने है।

2. यह कि साबिक ख0न0 210 व 211 पूर्व मे लालसिंह व अमरसिंह राजपूत निवासी बुहाना की खातेदारी में थे लेकिन उपरोक्त दोनो ख0न0 पर वादीगण के दादा श्योबक्स व गोदा का कब्जा कास्त था राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 लागु होने के पश्चात उपरोक्त ख0न0 की खातेदारी धारा 19 ऑल राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 के तहत जिस भूमि पर जिस व्यक्ति का कब्जा था उसको कब्जे सुद्दा भूमि का खातेदार कास्तकार घोषित कर दिया गया था ख0न0 210 व 211 का कुल रकबा 44 बीघा 1 बिस्वा था 1/2 हिस्से पर यानि 22 बीघा भूमि श्योबक्स का कब्जा था तथा 1/2 हिस्से यानि 22 बीघा भूमि पर गोदा का कब्जा कास्त था ख0न0 211 रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा प्रतिवादीगण स0 1 ल0 4 के दादा श्योबक्स के नाम दर्ज हो गई ओर ख0न0 210 रकबा 18 बीघा बिस्वा भूमि की खातेदारी गोदा के नाम दर्ज कर दी गई। कब्जे अनुसार श्योबक्स व गोदा के नाम 1/2, 1/2 भूमि दर्ज होनी चाहिए थी जबकि श्योबक्स के नाम 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि अधिक रिकार्ड मे दर्ज हो गई और गोदा के 3 बिस्वा 7 बिस्वा भूमि कम दर्ज कर दी गई जबकि दोनो के नाम 22 बीघा, 22 बीघा भूमि दर्ज होनी चाहिए थी।

3. यह कि गत सैटलमेन्ट के दौरान ख0न0 210 से ख0न0 630, 631, 632, 633, 634, 635 का रकबा भी साबिक ख0न0 के अनुसार दर्ज कर दिया गया इसी प्रकार सैटलमेन्ट के पश्चात साबिक ख0न0 211 से जो ख0न0 636, 638, 639 बने है उनका रकबा भी साबिक ख0न0 211 के अनुसार ही दर्ज हो गये। इस प्रकार वादीगण को खातेदारी में भूमि कम दर्ज चली आ रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:48:19 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

जबकि मौके पर वादीगण का मौजुदा ख0न0 638 रकबा 6.26है0 के उतरी हिस्से की 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि यानि 0.85है0 भूमि पर वादीगण का कब्जा कास्त है वादी स0 1,2,3 का 0.44, 1/2 है0 भूमि पर वादीगण का कब्जा है तथा 0.44, 1/2है0 भूमि पर वादी स0 4 ल0 10 का मौके पर कब्जा कास्त है प्रतिवादीगण मौके पर वादीगण का 0.85है0 भूमि पर वादीगण का कब्जा कास्त होना स्वीकार करते है

4. यह कि खाता स0 464 की भूमि ख0न0 638 रकबा 6.26है0 स्थित वाके ग्राम बुहाना त0 बुहाना जिसका साबिक ख0न0 211 है के उतरी हिस्से 0.85है0 में वादी स0 1 रामचन्द्र व वादी स0 2 ईश्वर ने पुख्ता मकान बना रखे है साबिक ख0न0 211 जिसका मौजुदा ख0न0 638 है मे शामलाती कुआ बना हुआ है जो श्योबक्स व गोदा द्वारा बहुत समय पुर्ण बनाया गया था मौजुदा समय मे उपरोक्त कुआ खण्डित हो चुका है।

5. यह कि खाता स0 464 की भूमि ख0न0 636 रकबा 0.15है0 ख0न0 638 रकबा 6.26है0 ख0न0 639 रकबा 0.02है0 कुल किता 3 कुल रकबा 6.43है0 स्थित वाके ग्राम बुहाना त0 बुहाना मे प्रति0 स0 1 ल0 3 का 3/4 हिस्सा है तथा प्रति0 4 ज्ञानीराम का 1/4 हिस्सा है उपरोक्त आराजीयात में से 1/4 हिस्से की भूमि में से 0.23है0 भूमि का बेचान प्रति0 स0 5 लक्ष्मण सिंह पुत्र गुगन सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना को कर चुका है ख0न0 638 रकबा 6.26है0 भूमि के उतरी हिस्से की भूमि 0.85है0 भूमि पर मौके पर वादीगण का कब्जा कास्त है तथा दक्षिणी हिस्से पर प्रति0 स0 1 ल0 4 का मौके पर कब्जा नही है वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार उपरोक्त कब्जे शुद्वा भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करवाने को कहा लेकिन प्रतिवादीगण ने मना कर दिया। दिनांक 20.12.2016 को वादी रामचन्द्र ने पुनः प्रतिवादीगण स0 1 ल0 4 से खातेदारी दर्ज करवाने को कहा तो उन्होने स्पष्ट रुप से इन्कार कर दिया और वादीगण को स्पष्ट रुप से कहा कि जो वादीगण कर सकते है वह कार्यवाही करे। उपरोक्त दाजा हाजा पेश करना आवश्यक हुआ। इसलिए दावा हाजा पेश किया जाता है।

6. यह कि विवाद कारण दिनांक 20.12.2016 को प्रतिवादीगण द्वारा ख0न0 638 रकबा 6.26है0 भूमि में से 0.85है0 भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करवाने से मना करने से पैदा हुआ। अतः दावा अन्दर मियाद पेश किया जाता है।

7. यह कि खाता स0 464 की भूमि ख0न0 636, 638, 639 वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना में स्थित है जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिए उपरोक्त दावा न्यायालय हाजा को सुनने का क्षेत्राधिकार हासिल है।

8. यह कि दावा निर्धारित कोर्ट फीस 2 रुपये स्टाम्प टिकिट पर पेश है जो काफी है।

9. यह कि दावा के साथ लेटेस्ट जमाबन्दी की नकल पेश की है जिसमें कोई परिवर्तन नही है साथ मे वादी रामचन्द्र का शपथ पत्र पेश है।

10. यह कि प्रति0 स0 6 को लैण्ड होल्डर होने के कारण प्रतिवादीगण बनाया गया है।

वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि

(क) कि खाता स0 464 की भूमि ख0न0 638 रकबा 6.26है0 स्थित वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना मे से उतरी हिस्से की 0.85है0 भूमि का खातेदार वादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:48:19 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

घोषित किया जावे व 0.44, 1/2है0 भूमि का खातेदार वादी स0 1 ल0 3 को तथा 0.44, 1/2है0 भूमि का खातेदार वादी स0 4 ल0 10 को घोषित किया जावे तथा इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ख) यह कि खाता स0 464 की भूमि ख0न0 638 रकबा 6.26है0 स्थित वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना का प्रति0 स0 1 ल0 5 को 6.26है0 की बजाय 5.41है0 भूमि का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे तथा इसी प्रकार रेवेन्यु रिकार्ड दुरुस्त किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। बावजूद सम्यक तामिल के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार बुहाना से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। वाके ग्राम स्थित राजस्व रिकार्ड के जमाबंदी से जांच की गई। मुताबिक जमाबंदी खाता संख्या 536 में दर्ज खसरा नम्बर 536 में दर्ज, खसरा नम्बर 638 6.26 है. के ज्ञानीराम, नाहरूराम आदि सलंग्न में शामलाती खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। परन्तु जमाबंदी के वादी रामचन्द्र व वादीगण के नाम दर्ज नही है। मौके पर खसरा नम्बर 638 के उत्तरी सीमा से लेकर दक्षिण की ओर लगभग 0.85 है. पर मौके पर गेहु व सरसों की फसल व कच्चे ईटों का ढारा (बाडा) पर ईष्वर पुत्र नानडराम, दलीप कुमार संजय पुत्र लीलाराम धनपति पत्नी लीलाराम, धापा देवी पत्नी महेन्द्र, सज्जन पुत्र महेन्द्र, रामसिंह पुत्र महेन्द्र, फकीर चन्द पुत्र मालाराम, राजकुमार, राजेश पुत्र रामचन्द्र ने शामलाती रूप से कास्त कर रखी है। मौका व जनरी नक्शा सलंग्न है।

वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2070–73 खाता 523 प्रदर्श– 1, जमाबंदी सं. 2070–73 खाता सं. 464 प्रदर्श– 2, जमाबंदी सं. 2027– 2030 प्रदर्श– 3, जमाबंदी सं. 2027–30 प्रदर्श– 4, जमाबंदी सं – 2023–26 प्रदर्श– 5, जमाबंदी सं. 2023–26 प्रदर्श– 6,मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 7, मौखिक साक्ष्य में पी डब्लू – 1 फकीरचंद का शपथ पत्र का पेश किये।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के अनुसार वादीगण वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 638 रकबा 6.26 है. में से 0.85 है. पर काबिज काश्त है, (प्रदर्श–अ) मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा से साबित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व वाद पत्र के अवलोकन करने से स्पष्ट होता है। अतः वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:48:19 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्या : 315/2022
जीसीएमएस वाद संख्या : 2022/819
रामचन्द्र बनाम नाहरु आदि
निर्णय दिनांक :– 23–12–2022

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादी डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर **भूमि ख0न0 638 रकबा 6.26है0 मे से वादीगण को** रकबा 0.85है0 **भूमि का** वादी सं. 1 लगायत 3 को 1/2 तथा वादी संख्या 4 लगायत 10 को 1/2 का नजरी नक्शा प्रदर्श– अ अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष रकबा जामाबंदी बदस्तुर रहेगी। तहसीलदार बुहानाको आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 23–12–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:48:19 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं:–315/2022 **जीसीएमएस वाद संख्या : 2022/819**
निर्णय दिनांक:– 23–12–2022

रामचन्द्र **बनाम** नाहरु आदि

दावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती

वादीगण की ओर से **श्री नरपाल सिंह यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थित में इस वाद में आज तारीख **23–12–2022** को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अंतिम डिकी दी जाती हैं कि –

"न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर भूमि ख0न0 638 रकबा 6.26है0 मे से वादीगण को रकबा 0.85है0 भूमि का वादी सं. 1 लगायत 3 को 1/2 तथा वादी संख्या 4 लगायत 10 को 1/2 का नजरी नक्शा प्रदर्श– अ अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष रकबा जामाबंदी बदस्तुर रहेगी। तहसीलदार बुहानाको आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 23–12–2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:48:19 IST
Reason: SelfAttested